राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 12(150) आयो/आकाशि/MVS/2020पार्ट/2650 दिनांक 23 नवम्बर 2020

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः– महाविद्यालय विकास समिति से अनुबंध पर रखे जाने वाले कार्मिकों के संबंध में दिशानिर्देश।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है की विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में महाविद्यालय विकास समिति से शैक्षणिक व अशैक्षणिक कार्मिकों की सेवायें लिये जाने के संबंध में प्रायः विसंगतियां घ्यान में आयी है। अतः न्यायिक प्रकरणों से बचने तथा लेखा आक्षेपों के नही बनने हेतु निम्न नियमों को ध्यान में रखकर कार्मिकों को रखा जावे–

1. कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 17 (10) डीओपी/ए–।।/94 दिनांक 11.07.2020 के द्वारा विभाग में स्पष्ट रिक्त पदों के विरूद्ध सेवानिवृत सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं संविदा (अनुबंध) पर लेने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत।
2. वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 2 (1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 30.04.2018 के अंतर्गत राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अंतर्गत मानव संसाधन की सेवाओं के उपापनों के संबंध में दिशा निर्देश।
3. राजस्थान राजपत्र विशेषांक दिनांक 21.08.2020 में श्रम विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.08.2020 राज्य सरकार न्यूनतम वेतन सलाहकार मण्डल से परामर्श करने के पश्चात राजस्थान राज्य में निम्नांकित अनुसूची भाग–1 एवं भाग–2 में अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारी के संबंध में न्यूनतम मजदूरी दरों के दिशा निर्देश।
4. विभाग के परिपत्र पत्रांक एफ 24 (01) लेखा/विविध/आकाशि/2019/3674 दिनांक 30.09.2020 द्वारा **RTPP Act 2012** एवं **RTPP Rule 2013** जारी में वर्णित उपापन प्रक्रिया के संबंध में मार्गदर्शन।

उक्त के अलावा समय–समय पर राज्य सरकार/विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों को भी ध्यान में रखकर कार्यवाही की जावे।

संदेश नायक, IAS
आयुक्त कॉलेज शिक्षा,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ 12(150) आयो/आकाशि/MVS/2020पार्ट/2651 दिनांक 23 नवम्बर 2020

प्रतिलिपिः– वेबसाईट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।

संयुक्त निदेशक (आयोजना)